बी०ए० द्वितीय वर्ष
प्रथम प्रश्न-पत्र

— डा० कृष्ण शंकर यादव

⇒ हॉब्स का सम्प्रभुता सिद्धान्त :— हॉब्स के अनुसार जनता का सम्पूर्ण कार्य सम्प्रभु के आदेशों का पालन करना है, चाहे वे आदेश ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध क्यों न हों, जनता के लिए उनका पालन करना ही न्यायपूर्ण और वैध है।

— सम्प्रभु को जनता की सम्पत्ति ही नहीं अपितु उनके प्राण लेने का भी अधिकार है, क्योंकि जनता की सम्पत्ति और प्राण उसी सत्ता से ही सुरक्षित है।

अतः सम्प्रभुता सम्पूर्ण, अविभाज्य और असीम है।

— हॉब्स राज्य के पृथक्करण एवं मिश्रित शासन व्यवस्था का विरोध करता है।

⇒ हॉब्स के अनुसार शासन — राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है। स्थायित्व एवं स्थिरता लाता है।

सम्प्रभु
- एक व्यक्ति में निहित हो — राजतंत्र
- कुछ व्यक्तियों में निहित हो — कुलीनतंत्र
- सभी व्यक्तियों में निहित हो — लोकतंत्र

⇒ हॉब्स के अनुसार कानून — सम्प्रभुता का स्वरूप वैधानिक (Legal) है।

— कानून सम्प्रभु का आदेश है। (Law is the Command of the sovereign)

— सम्प्रभु कानूनों का निर्माता है, लेकिन न तो वह कानूनों द्वारा नियंत्रित है एवं न ही उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य है।

⇒ राज्य एवं चर्च के सम्बन्ध में विचार — चर्च राज्य का एक अंग मात्र है, सम्प्रभु सामान्य क्षेत्र में ही नहीं अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च है।

→ मैकियावेली राज्य और चर्च को स्पष्ट पृथक करता है, जबकि हॉब्स चर्च को राज्य के अधीन कर देता है।

⇒ हॉब्स का व्यक्तिवाद (Individualism of Hobbes) — हॉब्स के अनुसार — राज्य व्यक्ति के लिए है तथा उसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितों की सिद्धि के लिए किया है। जो निरंकुश सत्ता राज्य को व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गयी है उसका उद्देश्य व्यक्तियों की सुरक्षा की प्राप्ति है। अतः व्यक्ति साध्य एवं राज्य साधन है।